न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या— 14/23 तारीख रज्जू—12/09/23

1 कल्याण पुत्र स्व0 गोपी जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरजपुरा टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2 जयलाल पुत्र स्व0 गोपी जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरजपुरा टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3 रणजीत पुत्र स्व0 रंगलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरजपुरा टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4 रघुवीर पुत्र स्व0 रंगलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरजपुरा टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
5 रामू पुत्र स्व0 रंगलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरजपुरा टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
6 रूपसिंह पुत्र स्व0 रंगलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सूरजपुरा टोकसी तह0 गंगापुर सिटी

———अपीलान्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी।

—— रेस्पोडेन्टान

दिनांक—16.04.2024

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम टोकसी के नामान्तकरण संख्या 711 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। नामान्तकरण सं0 711 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2010 द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ने गैदी पत्नि गोपी जाति बैरवा की ग्राम टोकसी में स्थित खातेदारी भूमि खं0नं0 2091/1568 रकबा 0.06 है0 भूमि जरिये समर्पण सिवायचक का नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 711 निर्णय दिनांक 23.11.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि ग्राम टोकसी में स्थित भूमि खं0नं0 2091/1568 रकबा 0.06 है0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हाल खातेदारान से गैंदी पत्नी गोपी (अपीलार्थी सं0 1 व 2 की माता) ने दिनांक 27.11.2007 को क्रय की थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 संचालित किया गया था व दिनांक 23.11.2010 को आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान स्थान टोकसी में अपीलार्थी सं0 1 व 2 की माता व अपीलार्थी सं0 3 लगायत 6 की दादी गैदी पत्नि गोपी द्वारा अपनी रजिस्टर्ड खरीदशुदा भूमि 0.06 है0 का पट्टा बनवाने बाबत् अभियान में तहसीलदार से सम्पर्क किया था। गैदी स्वयं पढने लिखने में असमर्थ थी। इस कारण गैंदी देवी द्वारा भूमि का पट्टा बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र किसी व्यक्ति से लिखवाकर अभियान में दिया , लेकिन अभियान में बरती गई लापरवाही के कारण अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर हाल 2091/1568 रकबा 0.06 है0 भूमि को सरकार को समर्पित कर

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

भूमि को राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया, साथ ही वकील अपीलार्थी ने नामान्तकरण सं0 711 निर्णय दिनांक 23.11.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी का यह कथन बिल्कुल निराधार है कि गैदी पत्नि गोपी प्रशासन गांव के संग अभियान में उक्त वाद आराजीयात का पट्टा बनवाने आयी थी जबकि सत्यता यह है कि अपीलार्थी सं0 1 व 2 की माता व अपीलार्थी सं0 3 लगायत 6 की दादी गैदी पत्नि गोपी द्वारा अभियान में स्वयं आकर उक्त भूमि राज्य हित में समर्पण हेतु निवेदन किया था। उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने नामान्तकरण सं0 711 निर्णय दिनांक 23.11.2010 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि नामान्तकरण सं0 711 निर्णय दिनांक 23.11.2010 तहसीलदार के आदेश कमांक 75 दिनांक 23.11.2010 के कम में तस्दीक किया गया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 75 दिनांक 23.11.2010 का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रांक के अनुसार श्रीमति गैदी देवी पत्नि गोपी निवासी टोकसी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि आराजी खं0नं0 2091/1568 रकबा 0.06 है0 को राज्यहित में समर्पण किया गया है। उक्त आदेश प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में जारी किया गया है। वकील अपीलार्थी का कथन है कि अभियान में बरती गई लापरवाही के कारण अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर हाल 2091/1568 रकबा 0.06 है0 भूमि को सरकार को समर्पित कर भूमि को राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया, लेकिन अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य,साक्ष्य एवं राजस्व रिकोर्ड प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त निर्णय पारित करने में अदालत मातहत द्वारा कोई लापरवाही बरती हो, साथ ही अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय किस आधार पर गलत है ,उक्त आधार प्रस्तुत करने का भार स्वयं अपीलार्थी पर होता है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त निर्णय किस आधार पर गलत है सिद्ध करने में असफल रहा है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण सं0 711 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2010 ग्राम टोकसी यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी